रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 24, 2007/श्रावण 2, 1929
No. 208] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 24, 2007/SRAVANA 2, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2007
सं. 28 (आर ई-2007)/2004—2009

फा. सं. 01/94/180/308/ए एम 07/पीसी-1.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1. प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 (आर ई-2003) के पैरा 3.2.5 के चौथे पैराग्राफ को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—
"आवेदन स्तर प्रमाण-पत्र में दिए गए पते के अनुसार क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।"
तदनुसार मंडलीय समिति समाप्त कर दी गई है। मंडलीय समिति प्रस्तुत आवेदनों को (लम्बित और अपूर्ण आवेदनों सहित) आगे की कार्रवाई हेतु संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को हस्तांतरित करेगी।
2. पैरा 3.2.6क(5) में आखिरी वाक्य को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है :—
"तथापि, जारी करने की अनुमति होने के बाद विभाजित प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवेदन और पंजीकरण के विभिन्न पत्तन में भी विभाजित प्रमाण-पत्र की अनुमति होगी।"
3. अंतिम वाक्य के बाद पैरा 3.2.6क(6) में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—
"इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख को वैध प्रमाण-पत्र का इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने के 12 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए पुनर्वैधीकरण किया जाएगा, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से पुनर्वैधीकरण के पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं होगी।"

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)
PUBLIC NOTICE
New Delhi, the 24th July, 2007
No. 28 (RE-2007)/2004—2009

F. No. 01/94/180/308/AM 07/PC-I.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the Export and Import Policy, 2004—2009, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures (Vol. 1):

1. The Fourth Paragraph of Para 3.2.5 of HBP-I (RE-2003) is replaced as under :
"Application shall be filed with jurisdictional regional authority as per the address given in the Status Certificate."
Accordingly Zonal Committee is abolished. Zonal Offices shall transfer applications filed with them (including pending and deficient applications) to RA concerned, for further processing.
2. In Para 3.2.6A (V) the last sentence is replaced as under :
"However, a request for issuance of split certificate(s) after issuance shall be permitted and Split certificate with different port of registration shall also be allowed."
3. In Para 3.2.6A (VI) after the last sentence, the following shall be added :
"The certificate that are valid on date of issue of this Public Notice, shall have an extended validity for a further period of 12 months from the issue of this Public Notice, without requirement of endorsement of extended validity on the certificate from concerned regional authority."

This issues in Public interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade and Ex-officio Addl. Secy.

3252 GI/2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.